



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-02012026-269055
CG-RJ-E-02012026-269055

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 03]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 01, 2026/पौष 11, 1947

No. 03]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 01, 2026/PAUSHA 11, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 31 दिसम्बर, 2025

का.आ. 03(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेलवे (अमेंडमेंट) अधिनियम 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (4) जिले के संबंध में राजस्थान राज्य में चुरु बाईपास लाइन (4.848 कि.मी.) की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्र. सं.	सक्षम प्राधिकारी	तहसील	जिला
1	2	3	4
1	उप खण्ड अधिकारी, चुरु	चुरु	चुरु

[फा. सं. उपरे/मुख्यालय/ एस एण्ड सी/ 443599200 भाग-23]
राजीव श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**[North Western Railways (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

Jaipur, the 31st December, 2025

S.O. 03(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of section 2 of the Railways (Amendment) Act 2008, the Central Government hereby authorize the officers mentioned in column (2) of the table below as “Competent Authority” to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of the special railway project of “Churu Bypass line(4.848 km)” in the State of Rajasthan relating to District mentioned in Column relating to the district mentioned in column(4) of the said Table for the purpose of execution, maintenance , management and operation.

TABLE

S. N.	Competent Authority	Tehsil	District
1	2	3	4
1	Sub Divisional Officer, Churu	Churu	Churu

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol.XXIII]

RAJEEV SHRIVASTAVA, Chief Administrative Officer (Const.)